

सं. आईआरडीएआई/पीपी&जीआर/सीआईआर/विविध/55/3/2024 No. IRDAI/PP&GR/CIR/MISC/55/3/2024

28.03.2024

परिपत्र Circular

प्रति / To सभी बीमाकर्ता / All Insurers

विषय: पॉलिसीधारकों की सेवा – चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विशेष उपाय Sub: Servicing to the policyholders – Special Measure for the current Financial Year 2023-24

- 1. पॉलिसीधारकों के किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, बीमाकर्ताओं को परामर्श दिया जाता है कि, वे 30 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2024 को सामान्य कार्यालयीन अवधि के अनुसार अपने कार्यालय खुले रखें।
  In order to avoid any hardship to the policyholders, the insurers are hereby advised to keep their offices open as per normal working hours on March 30, 2024 and March 31, 2024.
- 2. बीमाकर्ता उपर्युक्त पर ध्यान दें और उपरोक्तानुसार की गई विशेष व्यवस्था का पर्याप्त प्रचार करें। The insurers may take note of the above and give adequate publicity to the special arrangement made as above.

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This is issued with the approval of the Competent Authority.

(आरके शर्मा / R K Sharma)

मुख्य महाप्रबंधक / Chief General Manager